

**प्रपत्र VII**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**  
**या**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या :- 136/2018

पलामू, दिनांक :- 16/2/2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना ग्राम-पडवा सदाबह नदी पुल निर्माण हेतु थाना पड़वा, थाना सं० 198 अंचल पड़वा जिला पलामू में कुल 0.5217 एकड़ यानि 0.211 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.5217 एकड़ यानि 0.211 हेक्टेयर है और जो ग्राम पड़वा थाना पड़वा, थाना संख्या 198, अंचल पड़वा जिला पलामू में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.1134	गोविन्द महतो पिता- यदुवंश महतो, ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
2	263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.0225	सत्येन्द्र महतो उपेन्द्र महतो अविनाश महतो सतिश कुमार मेहता पिता०- हरिहर महतो ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
3	263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.0225	बैजनाथ महतो पिता-लिलाधार महतो ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
4	263	06	केवाला	आवासीय	0.0546	श्यामसुन्दर महतो पिता-रामसेवक महतो	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
5	263	06	केवाला	आवासीय	0.0184	सुरेश प्रसाद पिता-विणा साव	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
6	263	06	केवाला	आवासीय	0.0184	रमेश विश्वकर्मा पिता-सुखराज विश्वकर्मा ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6

263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.131	मोहन महतो पिता-यदुवंश महतो ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6	
8	263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.0568	विनोद महतो पिता-चन्द्रधन महतो ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6
9	263	06	बन्दोबस्ती	आवासीय	0.0841	गुप्तेश्वर महतो पिता-यदुवंश महतो ग्राम-पडवा	खेसरा सं०-6	N.H-75 सड़क	खेसरा सं०-6	खेसरा सं०-6

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

ग्राम.....x..... थाना.....x..... थाना सं०.....x..... अंचल.....x.....  
जिला.....x..... क्षेत्रफल .....x..... एकड़.....x..... यानि.....x..... हे०  
जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पलामू।  
13.02.18

अपर समाहर्ता  
पलामू।  
13.02.18

उपायुक्त, पलामू।  
13.02.18